संसदीय समितियां - (Parliamentary Committees)

विधायिका को अत्यधिक तथा जटिल कार्य करना पड़ता है। विधायिका के पास आवश्यकता से कम समय होने के कारण प्रारंभिक कार्य प्राय: विशेष उद्देश्यों के लिए नियुक्त या निर्वाचित समितियों द्वारा किया जाता है। ये समितियां अनिवार्यत: लोकसभा की समितियां होती हैं और लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करती हैं और उन्हें ही अपना रिपोर्ट सौंपती है।

संसदीय समितियों को स्थायी समितियों तथा तदर्थ समितियों में वर्गीकृत किया जाता है। तदर्थ समितियों का गठन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है तथा उद्देश्य पूरा होते ही ये समितियां समाप्त हो जाती हैं।

महत्वपूर्ण संसदीय समितियां -

- कार्य व्यापार और सलाहकारी समिति (सदस्य संख्या 15)
- लोक लेखा समिति (22)
- प्राक्कलन समिति (30)
- याचिका समिति (5)
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति (30)

प्राक्कलन समिति के अतिरिक्त अन्य समितियों में राज्यसभा के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जो प्राय: लगभग एक तिहाई होता है। लोकसभा का अध्यक्ष कहीं भी किसी भी समिति का सदस्य होता है वह उस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है।

- प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) - 30 सदस्य सभी लोकसभा के होते हैं। संसद की सभी पार्टियों को उसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाता है। समिति के सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष

Scanned with CamScanner

की नियुक्ति लोस अध्यक्ष द्वारा की जाती है। प्राक्कलन समिति में कोई मंत्री सदस्य नहीं बन सकता है। इसका कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होता है।

समिति के कार्य :- 1. प्राक्कलनों के पीछे की नीति की दक्षता पर रिपोर्ट करना। 2. यह जांच करना कि प्राक्कलनों से संबंधित नीति की सीमाओं में धन की ठीक प्रकार से व्यवस्था की गई है अथवा नहीं। 3. यह सुझाव देना कि इन प्राक्कलनों को संसद में किस रूप में प्रस्तुत किया जाना है। 4. समिति संसद द्वारा मंजूर की गई नीति की सीमाओं में ही काम करती है वह यदि उचित समझे तो परिवर्तन का सुझाव दे सकती है।

- लोक लेखा समिति (Public Account Committee) – 22 सदस्यों वाली जिसमें 15 LS + 7 RS से होते हैं।

कार्य :- 1. भारत सरकार के व्ययों को पूरा करने के लिए संसद द्वारा प्रदत्त विनियोग प्रदर्शित करने वाले खातों की जांच करना। 2. भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय खातों तथा सदन के समक्ष प्रस्तुत अन्य खातों की जांच करना 3. राजस्व प्राप्तियों पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्टों की जांच करना।

- सार्वजनिक उपक्रम समिति – 22 = 15 LS + 7 RS (राज्यसभा)

कार्य - 1. "लोकसभा (LS) के कामकाज की प्रक्रिया व आचरण के नियम" से संबंधित 4थी अनुसूची में विनिश्चय सार्वजनिक उपक्रमों के रिपोर्टों की जांच करना, उनकी स्वायत्तता व दक्षता की जांच करना। CAG की रिपोर्ट की भी जांच करना।

Scanned with CamScanner

- SC/ST कल्याण समिति - सदस्य 30 = 20LS + 10RS

कार्य :- 1. SC/ST आयुक्त द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की पर विचार करना। 2. केंद्र सरकार के विभागों, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा ऐसी अन्य संस्थाओं की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की जांच करना।
3. SC/ST के लिए केंद्र सरकार के कल्याण कार्यक्रमों के परिचालन का पुनर्विलोकन करना तथा सदन या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अग्रसारित ऐसे विषयों या मामलों की जांच करना।
4. SC/ST के कल्याण के लिए ~~चल~~ राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याण कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जांच करना, यदि केंद्र सरकार इसके लिए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से धन उपलब्ध करा रही है।

Scanned with CamScanner